

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु  
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
445/2018	दावा 53 RTA	12.07.2018	18.07.2025

1. डॉ. शिल्पा पत्नी पवनप्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासिनी चूरु तह. व जिला चूरु
2. सन्तोषकुमार पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
3. सरोज चौधरी पत्नी बालकृष्ण जाति जाट निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु

-वादीगण-

बनाम

1. अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
2. अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
3. अयूब कुरेशी पुत्र अहमद कुरेशी जाति कसाई निवासी चूरु
4. आमीन पुत्र जाफर जाति काजी निवासी चूरु
5. आयशा पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
6. अनीस गोरी पुत्र सलीम गोरी जाति मणहार निवासी चूरु
7. आसमीन पत्नी जमील अहमद जाति तेली निवासी चूरु
8. इन्द्रमणीदेवी पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
9. खलील अहमद पुत्र याकूब जाति काजी निवासी चूरु
10. खातूनबानो पत्नी मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
11. गौरुराम पुत्र किसना जाति जाट निवासी चूरु
12. जगमोहन पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
13. जन्नत पत्नी मोहम्मद आमीन जाति तेली निवासी चूरु
14. जीवणराम पुत्र किसना जाति जाट निवासी चूरु
15. तयबअली पुत्र याकूब जाति काजी निवासी चूरु
16. नरेन्द्रसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी चूरु
17. नूरहसन पुत्र याकूब जाति काजी निवासी चूरु
18. फतेहमोहम्मद पुत्र मोहम्मद रमजान जाति कसाई निवासी चूरु
19. बलकेश पत्नी महमूद जाति तेली निवासी चूरु
20. बानो पत्नी अनवर हुसैन जाति तेली निवासी चूरु
21. भंवरलाल पुत्र किसना जाति जाट निवासी चूरु
22. मंजू पुत्री किसना जाति जाट निवासी चूरु
23. मैना पत्नी किसना जाति जाट निवासी चूरु
24. मो. इमरान पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
25. मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
26. मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
27. मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
28. मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद आमीन जाति तेली निवासी चूरु
29. मोहम्मद आरिफ तंवर पुत्र मोहम्मद हुसैन तंवर जाति कसाई निवासी चूरु
30. मोहम्मद इलियास पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
31. इरफान अंसारी पुत्र लियाकत अली जाति जुलाहा (अंसारी) निवासी चूरु
32. मोहम्मद जावेद पुत्र अब्दुल शकूर जाति कसाई निवासी रामगढ जिला
33. (स्वर्गीय) मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/1 खातूनबानो पत्नी स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/2 आयसा पुत्री स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/3 मोहम्मद इमरान पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु



Alc.  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

- 33/4 मोहम्मद उमर पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/5 मोहम्मद नईम पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/6 मोहम्मद नदीम पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
34. मोहम्मद सफी पुत्र मोहम्मद रफीक जाति कसाई निवासी चूरु
35. मोहम्मद साजिद पुत्र अब्दुल शकूर जाति कसाई निवासी रामगढ जिला सीकर
36. मोहम्मद साजिद पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
37. मोहीदीन खां पुत्र जाबदी खां जाति कायमखानी निवासी चूरु
38. रजिया पत्नी सैयद जाति तेली निवासिनी चूरु
39. रमजान पुत्र अब्दुल गनी जाति कसाई निवासी रामगढ जिला सीकर
40. श्रीमती बीबीहवा पत्नी मोहम्मद अयूब जाति कसाई निवासी चूरु
41. शिवप्रकाश शर्मा पुत्र मंगेलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
42. सलमा पत्नी मोहम्मद सलीम जाति तेली निवासिनी चूरु
43. साहीबून पत्नी मोहम्मद अयूब जाति तेली निवासिनी चूरु
44. हसमत पुत्र मुन्ताज जाति तेली निवासी चूरु
45. खुशीमोहम्मद पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
46. इलियास पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
47. जाकिर पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
48. फारुक पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
49. सलीम पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
50. जुलेखा पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
51. जरीना पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
52. आबिदा पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
53. रुदीना पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
54. मैमुना पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
55. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरु (राज.)
56. अर्जुनराम पारीक पुत्र सुरजाराम जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरु  
-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित -

1. अधिवक्ता श्री जगदीशप्रसाद कस्वां वादीगण
2. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ प्रतिवादी सं. 1, 33, 37, 56
3. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रतिवादी सं. 12, 32, 35, 41

अन्तिम निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, चूरु की ओर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि तहसीलदार, चूरु द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप पेश किया गया है। यह प्रस्ताव सभी पक्षकारों के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार मौके पर तैयार किया गया है। इसलिए हम वादीगण पूर्णतया सहमत हैं तथा इस विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हम वादीगण को नहीं है। अतः दावा में तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 33, 37, 56 ने तहसीलदार, चूरु द्वारा प्रस्तुत विभाजन पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए कथन किया कि यह प्रस्ताव न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री में जारी आदेश, विधिक प्रावधानों के तहत व मौके पर खातेदारों के

*Al*  
उपस्थित अधिकारी  
चूरु



कब्जा काशत के अनुरूप तैयार कर पेश किया गया होने से हमें कोई आपत्ति या एतराज नहीं है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर दावा में अन्तिम डिक्री जारी की जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 12, 41 ने भी तहसीलदार, चूरु द्वारा प्रस्तुत विभाजन पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए कथन किया कि यह प्रस्ताव न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री में जारी आदेश व मौके पर खातेदारों के कब्जा काशत के अनुसार तैयार कर पेश किया गया होने से हमें कोई आपत्ति या एतराज नहीं है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर दावा में अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

प्रतिवादी संख्या 32 व 35 प्रार्थी जावेद व साजिद की ओर से अधिवक्ता सिकन्दर खान के प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुझ अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की कृषि भूमि के प्रत्येक खातेदार की कृषि भूमि के प्रत्येक खातेदार की कृषि भूमि में मौका पर दोनों तरफ रास्ता लगता है तथा दोनों पक्षकरो मो. साजिद व मो. जावेद की कृषि भूमियां अलग-अलग है जिसमें जिसके विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों में गलत रूप से नक्शा में अंकन कर गलत रास्ता दिखाया है तथा दोनों पक्षकारों की भूमि संयुक्त दिखाई है जिससे पक्षकारों की भूमि संयुक्त दिखायी है जिससे पक्षकारों के रकबे व मौके की स्थिति से भिन्न स्थिति दर्शाई है उक्त कृषि भूमियों में हमारे हिस्से को कम अंश दिया है और मौके पर जो रास्ता दिखाया है वह हमारे खरीदशुदा भूमि में से दिखाया है वह हमारी खरीदशुदा भूमि में से है जो हमने इस कृषि भूमि के अतिरिक्त जरिये पंजीकृत बैनामा के क्रय किया है। प्रार्थना-पत्र को शामिल मिसल कर अधिवक्ता वादी से जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर अधिवक्ता वादी की ओर से सिधी बहस का कथन किया गया जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया जबकि अधिवक्ता वादी की ओर से अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी साजिद व जावेद द्वारा अपनी कृषि भूमि के रकबे में से रास्ता कटवाने के लिए सहमत है तो वो अपनी अपनी कृषि भूमि में से खाता अलग होने के बाद रास्ता अलग से कटवा सकते हैं तथा प्राथीगण की ओर से अपने जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में रास्ते की मांग नहीं की गई ना ही रास्ते के संबंध में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश किया गया नाही रास्ते बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज पेश किया गया तथा प्रार्थी जावेद व साजिद बार-बार प्रार्थना-पत्र पेश कर दावे में पेचिदगियां बढ़ाना चाहता है तथा दावे में देरी करवाने के अतिरिक्त इस प्रार्थना-पत्र का कोई उद्देश्य नहीं है। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 32 व 35 की ओर से प्रस्तुत में 0.3980 हैक्टेयर हिस्सा चाहा गया जबकि विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादीगण का 0.3930 हिस्सा दर्शाया गया है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी का आकलन करने पर प्रतिवादी संख्या 32 व 35 की भूमि का क्षेत्रफल 0.3930 ही आता है। प्रतिवादी संख्या 32 व 35 की ओर से किसी प्रकार का विक्रयपत्र आदि न तो काउण्टर क्लेम के साथ पेश किया गया तथा नाही अलग से पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 32 व 35 की भूमि बहुत छोटे हिस्से में खरीद की गई जिससे प्रतिवादी संख्या 32 व 35 की भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन व पत्रावली के अवलोकन से निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं कि प्रार्थीगण जावेद व



Al/  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

साजिद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, धारा 151 सी.पी.सी. अंतर्गत, में यह निवेदन किया गया कि उनके हिस्से की कृषि भूमि में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित विभाजन में त्रुटिपूर्ण ढंग से रास्ते का अंकन किया गया है, जिससे भूमि के रकबे व स्थिति में भिन्नता उत्पन्न हो रही है, और उनकी स्वामित्व की खरीदी गई भूमि से होकर रास्ता दर्शाया गया है, जो उनके स्वामित्वाधीन अधिकारों का उल्लंघन है। प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी पक्ष की ओर से यह आपत्ति जताई गई कि प्रार्थीगण द्वारा न तो अपने जवाबदावा में रास्ते की मांग की गई है, ना ही इस संदर्भ में कोई दस्तावेज या शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण द्वारा बार-बार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनावश्यक पेचिदगियां उत्पन्न की जा रही हैं। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रत्यक्ष होता है कि प्रतिवादी संख्या 32 व 35 की भूमि का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों अनुसार 0.3930 हैक्टेयर ही बनता है, जबकि उन्होंने 0.3980 हैक्टेयर की मांग की है, जिसका कोई वैध दस्तावेजीय प्रमाण प्रेषित नहीं किया गया है। साथ ही, जिस भूमि से होकर रास्ता दर्शाया गया है, वह प्रार्थीगण द्वारा अलग से क्रय की गई है का उल्लेख प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा किया गया, परंतु उसका भी कोई क्रय-विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, बिना पर्याप्त दस्तावेजीय प्रमाणों के, इस स्तर पर प्रार्थना-पत्र को स्वीकृति देना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादी संख्या 32 व 35 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का इस प्रकरण में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण 32 व 35 चाहे तो उसके लिए अलग से दावा कर सकते हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर हमने तहसीलदार, चूरु द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, चूरु द्वारा विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर भिजवाया गया है जिस पर उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादी पक्षकारों के हस्ताक्षर अंकित हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं को इस विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति या एतराज नहीं है तथा उन्होंने इस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा में अन्तिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की है। वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है जिसमें प्रत्येक खातेदार काश्तकार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी हिस्से का खाता विभाजन करवा कर अलग खाता व लगान कायम करवा सकता है। खाता विभाजन के इस दावे को स्वीकार करने से किसी भी खातेदार या पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इसलिए तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार कर अन्तिम डिक्री करने योग्य पाया जाता है।

अतः तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर दावा स्वीकार कर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 8, 63 तादादी कमशः 2.0866, 7.9799 कुल तादादी 10.0665 हैक्टेयर रोही ग्राम



AL  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

रामसरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार मय बल्दियत	ख.नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1.	अर्जुनराम पारीक पुत्र सुरजाराम पारीक हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर खातेदार	8मी.	0.0976	बारानी
2.	अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी हिस्सा 807/3532, मोहम्मद इलियास पुत्र हाजी सफी हिस्सा 250/883, मोहम्मद साजिद पुत्र हाजी सफी हिस्सा 1125/3532, आयशा पुत्र मोहम्मद युसुफ हिस्सा 50/2649, खातून बानो पत्नी मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 50/2649, मो.इमरान पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 125/2649, मो.उमर पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 50/2649, मो.नईम पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 50/2649, मो.नदीम पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 125/2649 जाति कसाई निवासी चूरु, खातेदार	8मी.	1.7866	बारानी
3.	डॉ. शिल्पा गोयल पत्नी पवनप्रकाश गोयल हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल निवासी चूरु, खातेदार	63 मी.	0.1991	बारानी
4.	सन्तोषकुमार पुत्र हरफूलसिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0491	बारानी
5.	सरोज चौधरी पत्नी बालकृष्ण हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.2562	बारानी
6.	जगमोहन पुत्र प्रभूदयाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0149	बारानी
7.	मोहीदीन खां पुत्र जावदी खां हिस्सा पूर्ण जाति कायमखानी निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0469	बारानी
8.	शिवप्रकाश शर्मा पुत्र मंगीलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0149	बारानी
9.	मोहम्मद जावेद पुत्र अब्दुल शकूर हिस्सा 26372/31073, मोहम्मद साजिद पुत्र अब्दुल शकूर हिस्सा 4701/31073 जाति कसाई निवासी रामगढ़ खातेदार	63 मी.	0.3930	बारानी



AG  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

10.	अनीसगौरी पुत्र सलीमगौरी हिस्सा 23269/569986 जाति मणिहार निवासी चूरु,	63 मी. 8 मी.	7.0058 0.2024	बारानी
	अब्दुल करीम पुत्र ईस्माईल हिस्सा 12992/284993 जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ, अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी हिस्सा 6500/854979, अयूब कुरैशी पुत्र अहमद कुरैशी हिस्सा 1469/284993 जाति कसाई निवासी चूरु, आमीन पुत्र जाफर हिस्सा 808/284993 जाति काजी निवासी चूरु, आसमीन पत्नी जमील अहमद हिस्सा 10000/284993 जाति तेली निवासी चूरु, इन्द्रमणी देवी पत्नी मुरारीलाल हिस्सा 1175/569986 जाति ब्राह्मण निवासी चूरु, इरफान अंसारी पुत्र लियाकत अली हिस्सा 5120/284993 जाति जुलाहा(अंसारी) नि. चूरु खलील अहमद पुत्र याकूब हिस्सा 1175/569986 जाति काजी निवासी चूरु, गोरुराम पुत्र किशना हिस्सा 63892/854979 जाति माली निवासी चूरु, जन्नत पत्नी मो. आमीन हिस्सा 20000/284993 जाति तेली निवासी चूरु, जीवणराम पुत्र किशना हिस्सा 18947/284993 जाति माली निवासी चूरु, तयबअली पुत्र याकूब हिस्सा 2351/569986 जाति काजी निवासी चूरु, नरेन्द्रसिंह पुत्र धन्नेसिंह हिस्सा 1175/569986 जाति राजपूत निवासी	कुल	7.2082	बारानी



AG  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

चूरु, नूरहसन पुत्र याकूब हिस्सा 1175/569986  
 जाति काजी निवासी चूरु, फतेहमोहम्मद पुत्र  
 मोहम्मदरमजान हिस्सा 1500/284993 जाति  
 कसाई निवासी चूरु, बलकेश पत्नी महमूद हिस्सा  
 10000/284993 जाति तेली निवासी चूरु, बानो  
 पत्नी अनवरहुसैन हिस्सा 10000/284993 जाति  
 तेली निवासी चूरु, भंवरलाल पुत्र किशना हिस्सा  
 5761/284993 जाति माली निवासी चूरु,  
 भवानीसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा 2880/284993  
 जाति राजपूत निवासी चूरु, मंजू पुत्र किशना  
 हिस्सा 63892/854979 जाति मालि निवासी चूरु,  
 मैना पत्नी किशना हिस्सा 63892/854979 जाति  
 माली निवासी चूरु, मो.सलीम पुत्र मो.आमीन  
 हिस्सा 30000/284993 जाति तेली निवासी चूरु,  
 मोहम्मद आरिफ तंवर मोहम्मद हुसैन तंवर हिस्सा  
 8815/569986 जाति कसाई निवासी चूरु,  
 मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी सफी हिस्सा  
 6500/854979 जाति कसाई निवासी चूरु,  
 मोहम्मद सफीक पुत्र मो.रफीक हिस्सा  
 9060/284993 जाति कसाई निवासी चूरु, रजिया  
 पत्नी सैयद हिस्सा 10000/284993 जाति तेली  
 निवासी चूरु, रमजान पुत्र अब्दुलगनी हिस्सा 808  
 /284993 जाति कसाई निवासी रामगढ, श्रीमती  
 बीबीहवा पत्नी मोहम्मद अयूब हिस्सा



44/  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चूरु

5877/569986 जाति कसाई निवासी रामगढ, सलमा पत्नी मो.सलीम हिस्सा 10000/284993 जाति तेली निवासी चूरु, साहीबुन पत्नी मो.अयूब हिस्सा 22750/284993 जाति तेली निवासी चूरु, हसमत पत्नी मुन्ताज हिस्सा 10000/284993 जाति तेली निवासी चूरु, मोहम्मद इलियास पुत्र हाजी सफी हिस्सा 6500/854979 जाति कसाई निवासी चूरु खातेदार			
--	--	--	--



तहसीलदार, चूरु द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शे निर्णय व डिक्री के भाग माने जायेंगे। तहसीलदार, चूरु को आदेश दिया जाता है कि निर्णय व अन्तिम डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*AL*  
उपखण्ड अधिकारी..S.  
उपखण्ड अधिकारी, चूरु

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)  
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)  
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : श्री विजेन्द्र सिंह R.A.S.

1. डॉ. शिल्पा पत्नी पवनप्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासिनी चूरु तह. व जिला चूरु
2. सन्तोषकुमार पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
3. सरोज चौधरी पत्नी बालकृष्ण जाति जाट निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु

-वादीगण-

बनाम

1. अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
2. अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
3. अयूब कुरेशी पुत्र अहमद कुरेशी जाति कसाई निवासी चूरु
4. आमीन पुत्र जाफर जाति काजी निवासी चूरु
5. आयशा पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
6. अनीस गोरी पुत्र सलीम गोरी जाति मणिहार निवासी चूरु
7. आसमीन पत्नी जमील अहमद जाति तेली निवासी चूरु
8. इन्द्रमणीदेवी पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
9. खलील अहमद पुत्र याकूब जाति काजी निवासी चूरु
10. खातूनबानो पत्नी मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
11. गौरुराम पुत्र किसना जाति जाट निवासी चूरु
12. जगमोहन पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
13. जन्मत पत्नी मोहम्मद आमीन जाति तेली निवासी चूरु
14. जीवणराम पुत्र किसना जाति जाट निवासी चूरु
15. तयबअली पुत्र याकूब जाति काजी निवासी चूरु
16. नरेन्द्रसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी चूरु
17. नूरहसन पुत्र याकूब जाति काजी निवासी चूरु
18. फतेहमोहम्मद पुत्र मोहम्मद रमजान जाति कसाई निवासी चूरु
19. बलकेश पत्नी महमूद जाति तेली निवासी चूरु
20. बानो पत्नी अनवर हुसैन जाति तेली निवासी चूरु
21. भंवरलाल पुत्र किसना जाति जाट निवासी चूरु
22. मंजू पुत्री किसना जाति जाट निवासी चूरु
23. मैना पत्नी किसना जाति जाट निवासी चूरु
24. मो. इमरान पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
25. मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
26. मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
27. मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
28. मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद आमीन जाति तेली निवासी चूरु
29. मोहम्मद आरिफ तंवर पुत्र मोहम्मद हुसैन तंवर जाति कसाई निवासी चूरु
30. मोहम्मद इलियास पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु



46/  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

31. इरफान अंसारी पुत्र लियाकत अली जाति जुलाहा (अंसारी) निवासी चूरु
32. मोहम्मद जावेद पुत्र अब्दुल शकूर जाति कसाई निवासी रामगढ जिला सीकर
33. (स्वर्गीय) मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/1 खातूनबानो पत्नी स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/2 आयसा पुत्री स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/3 मोहम्मद इमरान पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/4 मोहम्मद उमर पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/5 मोहम्मद नईम पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
- 33/6 मोहम्मद नदीम पुत्र स्व. मोहम्मद युसुफ जाति कसाई निवासी चूरु
34. मोहम्मद सफी पुत्र मोहम्मद रफीक जाति कसाई निवासी चूरु
35. मोहम्मद साजिद पुत्र अब्दुल शकूर जाति कसाई निवासी रामगढ जिला सीकर
36. मोहम्मद साजिद पुत्र हाजी सफी जाति कसाई निवासी चूरु
37. मोहीदीन खां पुत्र जाबदी खां जाति कायमखानी निवासी चूरु
38. रजिया पत्नी सैयद जाति तेली निवासिनी चूरु
39. रमजान पुत्र अब्दुल गनी जाति कसाई निवासी रामगढ जिला सीकर
40. श्रीमती वीवीहवा पत्नी मोहम्मद अप्पू जाति कसाई निवासी चूरु
41. शिवप्रकाश शर्मा पुत्र मंगेलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
42. सलमा पत्नी मोहम्मद सलीम जाति तेली निवासिनी चूरु
43. साहीबून पत्नी मोहम्मद अप्पू जाति तेली निवासिनी चूरु
44. हसमत पुत्र मुन्ताज जाति तेली निवासी चूरु
45. खुशीमोहम्मद पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
46. इलियास पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
47. जाकिर पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
48. फारुक पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
49. सलीम पुत्र अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
50. जुलेखा पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
51. जरीना पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
52. आबिदा पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
53. रुबीना पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
54. मैमुना पुत्री अब्दुलकरीम जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुन्डुनू
55. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरु (राज.)
56. अर्जुनराम पारीक पुत्र सुरजाराम जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरु  
-प्रतिवादीगण-



दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 32 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री जगदीशप्रसाद कस्वां एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब श्री नन्दराम राहड़, श्री सुरेन्द्र राहड़ एवं श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट्स प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर दावा स्वीकार कर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 3, 63 तादादी क्रमशः 2.0866, 7.9799 कुल तादादी 10.0665 हैक्टयेर रोही ग्राम रामसरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

Alu  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

क.सं.	नाम खातेदार मय वल्लिदयत	ख.नं.	रकबा हेक्टेयर में	किस्म
1.	अर्जुनराम पारीक पुत्र सुरजाराम पारीक हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर खातेदार	8मी.	0.0976	बारानी
2.	अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी हिस्सा 807/3532, मोहम्मद इलियास पुत्र हाजी सफी हिस्सा 250/883, मोहम्मद साजिद पुत्र हाजी सफी हिस्सा 1125/3532, आयशा पुत्र मोहम्मद युसुफ हिस्सा 50/2649, खातून बानो पत्नी मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 50/2649, मो.इमरान पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 125/2649, मो.उमर पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 50/2649, मो.नईम पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 50/2649, मो.नदीम पुत्र मोहम्मदयुसुफ हिस्सा 125/2649 जाति कसाई निवासी चूरु, खातेदार	8मी.	1.7866	बारानी
3.	डॉ. शिल्पा गोयल पत्नी पवनप्रकाश गोयल हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.1991	बारानी
4.	सन्तोषकुमार पुत्र हरफूलसिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0491	बारानी
5.	सरोज चौधरी पत्नी बालकृष्ण हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.2562	बारानी
6.	जगमोहन पुत्र प्रभूदयाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0149	बारानी
7.	मोहीदीन खां पुत्र जावदी खां हिस्सा पूर्ण जाति कायमखानी निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0469	बारानी
8.	शिवप्रकाश शर्मा पुत्र मूंगेलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी चूरु खातेदार	63 मी.	0.0149	बारानी
9.	मोहम्मद जावेद पुत्र अब्दुल शकूर हिस्सा 26372/31073, मोहम्मद साजिद पुत्र अब्दुल शकूर हिस्सा 4701/31073 जाति कसाई निवासी रामगढ़ खातेदार	63 मी.	0.3930	बारानी
10.	अनीसगौरी पुत्र सलीमगौरी हिस्सा 23269/569986 जाति मणिहार निवासी चूरु, अब्दुल करीम पुत्र ईस्माईल हिस्सा 12992/284993 जाति कायमखानी निवासी विसाऊ, अब्दुल रहमान पुत्र हाजी सफी हिस्सा	63 मी. 8 मी.	7.0058 0.2024	बारानी
		कुल	7.2082	बारानी



46  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

6500/854979, अयूब कुरैशी पुत्र अहमद कुरैशी  
हिस्सा 1469/284993 जाति कसाई निवासी चूरु,  
आमीन पुत्र जाफर हिस्सा 808/284993 जाति  
काजी निवासी चूरु, आसमीन पत्नी जमील अहमद  
हिस्सा 10000/284993 जाति तेली निवासी चूरु,  
इन्द्रमणी देवी पत्नी मुरारीलाल हिस्सा  
1175/569986 जाति ब्राह्मण निवासी चूरु, इरफान  
अंसारी पुत्र लियाकत अली हिस्सा 5120/284993  
जाति जुलाहा(अंसारी) नि. चूरु खलील अहमद  
पुत्र याकूब हिस्सा 1175/569986 जाति काजी  
निवासी चूरु, गोरुराम पुत्र किशना हिस्सा  
63892/854979 जाति माली निवासी चूरु, जन्नत  
पत्नी मो. आमीन हिस्सा 20000/284993 जाति  
तेली निवासी चूरु, जीवणराम पुत्र किशना हिस्सा  
18947/284993 जाति माली निवासी चूरु,  
तयबअली पुत्र याकूब हिस्सा 2351/569986  
जाति काजी निवासी चूरु, नरेन्द्रसिंह पुत्र धन्नेसिंह  
हिस्सा 1175/569986 जाति राजपूत निवासी  
चूरु, नूरहसन पुत्र याकूब हिस्सा 1175/569986  
जाति काजी निवासी चूरु, फतेहमोहम्मद पुत्र  
मोहम्मदरमजान हिस्सा 1500/284993 जाति  
कसाई निवासी चूरु, बलकेश पत्नी महमूद हिस्सा  
10000/284993 जाति तेली निवासी चूरु, बानो  
पत्नी अनवरहुसैन हिस्सा 10000/284993 जाति



AC  
उपसचिव अधिकारी  
चूरु

तेली निवासी चूरु, भंवरलाल पुत्र किशना हिस्सा  
5761/284993 जाति माली निवासी चूरु,  
भवानीसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा 2880/284993  
जाति राजपूत निवासी चूरु, मंजू पुत्र किशना  
हिस्सा 63892/854979 जाति मालि निवासी चूरु,  
मैना पत्नी किशना हिस्सा 63892/854979 जाति  
माली निवासी चूरु, मो.सलीम पुत्र मो.आमीन  
हिस्सा 30000/284993 जाति तेली निवासी चूरु,  
मोहम्मद आरिफ तंवर मोहम्मद हुसैन तंवर हिस्सा  
8815/569986 जाति कसाई निवासी चूरु,  
मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी सफी हिस्सा  
6500/854979 जाति कसाई निवासी चूरु,  
मोहम्मद सफीक पुत्र मो.रफीक हिस्सा  
9060/284993 जाति कसाई निवासी चूरु, रजिया  
पत्नी सैयद हिस्सा 10000/284993 जाति तेली  
निवासी चूरु, रमजान पुत्र अब्दुलगनी हिस्सा 808  
/284993 जाति कसाई निवासी रामगढ, श्रीमती  
वीबीहवा पत्नी मोहम्मद अयूब हिस्सा  
5877/569986 जाति कसाई निवासी रामगढ,  
सलमा पत्नी मो.सलीम हिस्सा 10000/284993  
जाति तेली निवासी चूरु, साहीबुन पत्नी मो.अयूब  
हिस्सा 22750/284993 जाति तेली निवासी चूरु,  
हसमत पत्नी मुन्ताज हिस्सा 10000/284993  
जाति तेली निवासी चूरु, मोहम्मद इलियास पुत्र



46/  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु



हाजी सफी हिस्सा 6500/854979 जाति कसाई			
निवासी चूरु खातेदार			

तहसीलदार, चूरु द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.06.2025 के संलग्न नजरी नक्शे निर्णय व डिक्री के भाग माने जायेंगे। तहसीलदार, चूरु को आदेश दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18 माह जूलाई सन् 2025 को जारी की गई।

46  
विश्वेन्द्र सिंह R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी, चूरु